न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 48/2020
RCMS No. : 2020/00080

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		आलोक पुत्र अमरचंद जैन, मैसर्स गुलमोहर इण्डस्ट्रीज, जी–1–64, रीको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, चतुर्थ फेज, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.10.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 12.10.2019 को दौराने गश्त 02.45 पी.एम. को मैसर्स गुलमोहर इण्डस्ट्रीज, जी–1–64, रिको ऐरिया चतुर्थ फेज, पाली की फैक्टरी पहुंचा तो वहां अप्रार्थी आलोक पुत्र अमरचंद जैन उपस्थित मिला। जिसने अवगत कराया कि वह स्वयं फैक्टरी का मालिक है। मौके पर फैक्टरी का निरीक्षण करने पर पाया की स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) के पैकेट प्लास्टिक कट्टे में रखे हुये थे। प्रत्येक पैकेट में 60 पाउच स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) के है। फैक्टरी में कुल 5 प्लास्टिक कट्टे रखे थे, जिसको वह आमजन को बिक्री हेतु होना बताया, जिसमें मिलावट का शक हुआ। इसलिए रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। बिक्री हेतु रखे स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) के 16 मूल पैकेट वास्ते जॉच हेतु क्रय किया तथा इसका मूल्य 800 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा उक्त क्रयसुदा स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–994 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Mis Branded स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्राथी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने दिनांक 05.08.2020 को लिखित जवाब में उल्लेख किया कि वह जुर्म स्वीकार करता है तथ भविष्य में इस तरह की कोई भी अनियमितता नहीं बरतेगा। अतः कम से कम जुर्माना अधिरोपित करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 12.10.2019 को मैसर्स गुलमोहर इण्डस्ट्रीज, जी–1–64, रिको इण्डस्ट्रीज ऐरिया, चतुर्थ चरण, पाली पहुॅचा, जहां अप्रार्थी स्वयं मिला तथा वहां पर बेचाण हेतु रखे हुए स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–994 अंकित कर सीलबन्द किया गया, जो सैम्पल लिया गया है, उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में भी जुर्म स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वह भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगा। अप्रार्थी के पास से विक्रय किए जा रहे स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) की जांच संबंधी रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर के क्रमांक/एल.एस. /800/एसीटी/2019/847 दिनांक 25.10.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–994 को Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (3) (ii) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन किया है, जो धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis Branded स्वीट सुपारी (Brand-A.V.I. मन) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली